2010:CGHC:6262

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका क्रमांक649/2003

याचिकाकर्ता: कृष्ण कुमार उज्जैने

विरूद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

तथा अन्य संबंधित याचिकाएँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु विचारार्थ

हस्ताक्षरित/-

धीरेंद्र मिश्रा,

न्यायमूर्ति

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ **हस्ताक्षरित /-**

आर.एन. चंद्राकर,

न्यायमूर्ति

दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 को आदेश हेतु नियत

हस्ताक्षरित /-

धीरेंद्र मिश्रा,

न्यायमूर्ति

2010:CGHC:6262

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका क्रमांक649/2003

याचिकाकर्ता : कृष्ण कुमार उज्जैने, पिता श्री नारायण राव उज्जैने,

आयु लगभग 25 वर्ष, आबकारी ठेकेदार, निवासी

सूर्यवंशी कृषि फॉर्म, भाटागांव, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

(आबकारी), मंत्रालय, डीकेएस भवन,शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)।

2. आयुक्त, आबकारी, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष, आबकारी, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक1971/2002

याचिकाकर्ता : धर्मेंद्र सिंह, पिताबृजनाथ सिंह, आयु लगभग वर्ष,

अनुज्ञप्तिधारीविदेशी मदिरा दुकान, रतनपुर,

बिलासपुर (छ.ग.)

द्वारा कर्मवीर सिंह (अधिकार पत्र धारक) पिता

रामगुलाम सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी कुदुदंड,

बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, आबकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक303/2003

याचिकाकर्ता : अमित छावड़ा, पिता हेमराजछावड़ा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी रावनभाटाजामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन,रायपुर(छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, आबकारी, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक228/2003

याचिकाकर्ता : संजय कुमार गुप्ता, पिता सरयू प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी पंजाब कॉलोनी के पास, दयालबंद, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी),जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक356/2003

याचिकाकर्ता : ओम प्रकाश शर्मा, पिता स्वर्गीय शेर सिंह शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी जशपुर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त, आबकारी, जशपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक369/2003

याचिकाकर्तागण1. यदुवंश प्रसाद पिता श्री हीरा प्रसाद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी कटोरा तालाब, नेताजी चौक रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. हरजीत सिंह भाटिया, पिता गुरदयाल सिंह भाटिया, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी नेताजी चौक, कटोरा तालाब, रायपुर (छ.ग.)

3. अनिरुद्ध पांडा, पिता श्री गोवर्धन पंडा, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी अरोड़ा ट्रांसपोर्ट के सामने दयालबंद, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. मनोज कुमार सिंह, पिता श्री राम अवतार सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी धींगूपुर, रायगढ़ (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त, आबकारी,

जिला रायपुर(छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका क्रमांक334/2003</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : पुष्कर डड़सेना, पिताजागेश्वरडड़सेना, आयु लगभग 29वर्ष, अनुज्ञप्तिधारीविदेशी मदिरा दुकान, राजनांदगांव(छ.ग.)

द्वारा कृष्ण गोपाल सिंह चौहान, (अधिकार पत्र धारक) पिता

श्री श्यामलाल सिंहचौहान, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी डी-24,विद्यानगर, बिलासपुर(छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, राजनांदगांव,

जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक226/2003

याचिकाकर्ता : अनिल कुमार खत्री,पिता स्वर्गीय बिरजू प्रसाद खत्री, उम्र लगभग वर्ष, निवासी मकाननंबर 350, वार्ड नंबर 5, ढिमरापुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़.

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक227/2003

याचिकाकर्ता : शरत कुमार सिंह, पिता चंद्रमणि सिंह, उम्र लगभग वर्ष, निवासी बैरियर चौक, जायसवाल भवन, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक223/2003

याचिकाकर्ता : सुदर्शन सिंह पिता श्री सुखदेव सिंह, उम्र लगभगवर्ष, निवासी मकान नंबर 350, वार्ड नंबर 5, ढिमरापुर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी,

जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक224/2003

याचिकाकर्ता : निरंजन दास, पिता श्री मधुसूदन दास, आयु लगभग

24वर्ष, निवासी बैंक ऑफ इंडियाके पास, बिलासपुर,

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त, आबकारी,

बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक225/2003

याचिकाकर्ता : सोनू कुमार सिंह, पिता श्री वीरेंद्र सिंह, उम्र लगभग वर्ष, निवासी मकान नंबर350, वार्ड संख्या 5, ढिमरापुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी,

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक693/2003

याचिकाकर्ता : गुरुचरण सिंह,पिता गोविंद सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी दयालबंद, बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव,आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रायपुर(छ.ग.)

2. आयुक्त, आबकारी,

रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष,

कवर्धा(छ.ग.)

4. जिला आबकारी अधिकारी,

कवर्धा(छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक866/2003

याचिकाकर्ता : श्रीमती कुलवंत कौर, पति श्री राजवंत सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी अरावतभवन, दुर्ग, तहसील और जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष

दुर्ग (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी,

दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक867/2003

याचिकाकर्ता : रवि यादव,पिता श्री माखन लाल यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी प्रिया होटल, संतरा बाड़ी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव,आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष,
दुर्ग (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी,
दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक912/2003

याचिकाकर्ता : राजकुमार सिंह,पिता गौरीशंकर सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी डी/12, ऋषभ कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष,
धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी,

धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक913/2003

याचिकाकर्ता : एस. राजेंद्रपाल सिंह चावला, पिता हरबंस सिंह चावला, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी बलदेव बाग, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, राजनांदगांव(छ.ग.)

3. सहायक आयुक्त, आबकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक914/2003

याचिकाकर्ता : अनिल कुमार पिता केशव शाह गुप्ता, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी टिकरापारा, कांकेर, जिला कांकेर, (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर(छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष,

धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी,

धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक491/2003

याचिकाकर्ता : संतोष कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय बिघन प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम सिलतरा, आरक्षी केन्द्र धरसीवां, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव,वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), मंत्रालय, डीकेएस भवन,रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़,

रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी,

जिला धमतरी (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक371/2003

याचिकाकर्ता : रमेश दास पिता श्री जगबंधु दास, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी कोलियाथा, थाना महांगा कटक, (उड़ीसा)

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़,

रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

` 4. सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक490/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : राम दुलारे पटेल, पिता श्री ललिता पटेल, आयु

लगभग 45 वर्ष, निवासी नूरानीचौक, राजा तालाब,

रायपुर, जिला रायपुर(छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, डीकेएस भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़,

रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त आबकारी,

जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक603/2003

याचिकाकर्ता : अमित अग्रवाल पिता श्री नंद किशोर अग्रवाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी गुजराती कॉलोनी, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी), दंतेवाड़ा

3. जिला आबकारी अधिकारी, दंतेवाड़ा(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक692/2003

याचिकाकर्ता : सुदर्शन साहू, पिता श्री भुवनेश्वर साहू, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. आयुक्त, आबकारी, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष, रायपुर (छ.ग.)

4. जिला आबकारी अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

2010:CGHC:6262

रिट याचिका क्रमांक499/2003

याचिकाकर्तागण 1. सोहन लाल पिता फकीरे लाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती, कोरबा, तहसील और जिला कोरबा (छ.ग.)

2. रमेश कटारे पिता लहरुमल कटारे, उम्र लगभग वर्ष, निवासी वर्तमान पता बांकी मोंगरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आबकारी विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी), कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक3717/2003

याचिकाकर्ता : गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी), जिला बिलासपुर (छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक338/2003

याचिकाकर्ता : रविन्द्र सिंह सोलंकी, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी एमआईजी-8, सहयोग पार्क, रायपुर(छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी धमतरी, जिलाधमतरी (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक337/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : बलदेव सिंह पिता श्री बच्चन सिंह, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी सिर्री, तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,
रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक336/2003

याचिकाकर्ता : पंकज गुप्ता पिता श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता, आयु लगभग 30वर्ष, निवासी संतोषी नगर, टिकरापारा, रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक341/2003

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता : देवेंद्र महतो पिता श्री कन्हई महतो, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी साहूपारा, फाफाडीह, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर

जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक342/2003

याचिकाकर्ता : विष्णु वर्मा, पिता श्री भाऊ राम वर्मा, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी कनकी, तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़ राज्य,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक343/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : रोहित मार्कंडेयपिता श्री सेवक राम मार्कंडेय, आयु लगभग 25 वर्ष,निवासी सिर्री, तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़ राज्य,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक339/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : राजेश पटेल पिता श्री नोहर प्रसाद पटेल, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी खरोरा,तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़ राज्य,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक340/2003

याचिकाकर्ता : केशव पाल पिता श्री हलाल पाल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी केसला, तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त आबकारी,छत्तीसगढ़ राज्य,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

<u>रिट याचिका क्र214/2003</u>

याचिकाकर्ता : यदुवंश प्रसाद,पिता श्री हीरा प्रसाद, आयु लगभग 46 वर्ष,

निवासी कटोरा तालाब, नेताजी चौक रायपुर (छत्तीसगढ़)

<u>विरूद्ध</u>

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा सचिव कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)

मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवनरायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त आबकारी, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका क्र216/2003</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : बी.के. अजीत कुमार पिता श्री वी.आई. कुमारन, उम्र

लगभग ......वर्ष, निवासी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा सचिव कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग

(आबकारी)मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी जशपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्र217/2003

याचिकाकर्ता : बिनोद प्रसाद गुप्ता, पिता राधामोहनप्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग ....वर्ष, निवासी मकान नं.350, वार्ड नं.5, ढिमरापुर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारासचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवनरायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र218/2003

याचिकाकर्ता : नंद कुमार वर्मा पिता राजेश्वर राम वर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मेन रोड, जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ शासन
द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) मंत्रालय, दाऊकल्याण सिंह भवन रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़ रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्र219/2003

याचिकाकर्ता : प्रेम सिंह पिता श्री सुवा, उम्र लगभग ......वर्ष,

निवासी मकान संख्या 31/436, बैंक ऑफ इंडिया के

सामने, दयालबंद,बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)

मत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी),

छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी,

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्र1089/2003

याचिकाकर्ता : भूपेंद्र कुमार देवांगन, पिता प्रसन्नालाल, आयु लगभग 35

वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल. 1, दुर्ग, निवासी

मास्टर कोचिंग पचरीपारा, वार्ड क्रमांक 25 दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग(छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी

दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1090/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : बलबीर सिंह पिता निरंजन सिंह उम्र लगभग

26 वर्ष व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.1 झरनदल्ली

जिला दुर्ग निवासी दल्लीराजहरा तह. बालोद जिला

दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग(छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी

दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र1091/2003

याचिकाकर्ता : बुधराममंडावीपिता हतोई राम मंडावी, आयु लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1, पुरुर, जिला दुर्ग निवासी मालवीय नगर, दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग(छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1087/2003

याचिकाकर्ता : महमूद अंसारी पिता पीर महमूद, आयु लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.1, न्यू बसंत, भिलाई, जिला दुर्ग,निवासी कैलाश नगर,राजनांदगांव (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

दुर्ग (छ.ग.)

<u>रिट याचिका क्र1088/2003</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : बलविंदर सिंह पिता त्रिलोक सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, व्यवसायअनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1 दुर्ग, निवासी भरकापारा राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

दुर्ग (छ.ग.)

<u>रिट याचिका क्र976/2003</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : गणेश गजभिए, पिता ताराचंदगजभिए, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मकान नंबर 557, वार्ड नंबर 15, तितुरडीह,तहसील वजिला दुर्ग (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1070/2003

याचिकाकर्ता : सुरेंद्र सोनी, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता श्याम बिहारी सोनी, निहारिका टॉकीज़ के पास, कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन,मंत्रालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्र1009/2003

याचिकाकर्ता: शिव जगत साहू, पिता श्री मोहन साहू, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 46नवजीवन सोसाइटी पचपेड़ी नाका रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन, मंत्रालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष

दुर्ग (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी,

दुर्ग,जिला दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1008/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : सुभाष यादव पिता श्री रामदेव यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी शीतला मंदिर, कैम्प-2, भिलाई दुर्ग तहसील एवं जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन, मंत्रालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी,

दुर्ग,जिला दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र974/2003

याचिकाकर्ता : अमर श्रीवास्तव, पितास्व. स्वर्गीय श्री राजेंद्र श्रीवास्तव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक-32, सरस्वती नगर, दुर्ग,तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, आबकारी विभाग डीकेएस भवन, मंत्रालयरायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकार, दुर्ग जिला दुर्ग(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र215/2003

याचिकाकर्ता: बिहारी लाल गुप्ता पिता श्री काशी प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग वर्ष, निवासी मेन रोड,जांजगीर जिलाजांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1970/2002

याचिकाकर्ता: सत्येंद्र सिंह पिता आर.एस. सिंह, आयु वर्ष,

अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा दुकान, रतनपुर,

बिलासपुर (छ.ग.)

द्वारामंजीत सिंह (अधिकार पत्र धारक) पिता गोविंद

सिंह,आयु 40 वर्ष, निवासी दयालबंद, बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, (आबकारी) मत्रालय,डी.के.एस. भवन

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1972/2002

याचिकाकर्ता : आशीष सिंह पितारामबली सिंह, आयु वर्ष, अनुज्ञप्तिधारी

विदेशी मदिरा दुकान, रतनपुर, बिलासपुर (छ.ग.)

द्वारा कर्मवीर सिंह(अधिकार पत्र धारक) पितारामगुलाम

सिंह, आयु 35 वर्ष,निवासी कुदुदंड, बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, (आबकारी) मत्रालय, डी.के.एस. भवन

रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

बिलासपुर, जिलाबिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र213/2003

याचिकाकर्ता : गोकुल नंद राउत पिता श्री फकीर चंद राउत,

उम्र लगभग वर्ष, निवासी मकान संख्या 350, वार्ड

संख्या 5, ढिमरापुर,जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी),

छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

4. जिला आबकारी अधिकारी

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रिट याचिका क्र232/2003

याचिकाकर्ता : यदुवंश प्रसाद पिता श्री हीरा प्रसाद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी कटोरातालाब, नेताजी चौक रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी)

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(छत्तीसगढ़)

2. आयुक्त (आबकारी),

छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त आबकारी,

रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्र344/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : शिव कुमार चंद्राकरपिता श्री श्याम लाल चंद्राकर, उम्र लगभग 28 वर्ष निवासीबोदरा, तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. आयुक्त, आबकारीछत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1103/2003

याचिकाकर्ता : जगत ध्रुव, पितामनबोधि ध्रुव, उम्र लगभग 38 वर्ष, व्यवसायअनुज्ञप्तिधारीएफ.एल-1टुबडीबोड़,राजनांदगांव निवासी धरमपुरा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जिलाध्यक्ष, राजनांदगांव(छ.ग.)

3. सहायक आयुक्त,

आबकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

<u>रिट याचिका क्र. 1102/2003</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : बहुर सिंह चंद्राकर, आयु लगभग 55 वर्ष,

व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.1 चरोदा, दुर्ग

निवासीशिकारीपारा बालोद, तहसील बालोद, जिला दुर्ग

(छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष,

दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

दुर्ग (छ.ग.)

<u>रिट याचिका क्र 48/2003</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> 1. दीपक जेना, पिता श्री जगन्नाथ जेना, उम्र लगभग

27 वर्ष, निवासीचंदनियापारा, जांजगीर,

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

2. लखेश्वर कश्यप, पिता श्री काशी राम कश्यप, उम्र

लगभग 25 वर्ष, निवासीजयसवालभावा, बैरियर चौक, चांपा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

3. भुवन लाल शर्मा, पिता स्वर्गीय गिरधारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी चंदनियापारा, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

4. कपिलेन्द्रस्वाई, पिता श्री लोकनाथ स्वाई, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिलाजांजगीर-चांपा (छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त आबकारी, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1835/2002

याचिकाकर्ता : महातम तिवारी, पिताकोलेश्वर तिवारी, आयु लगभग 46 वर्ष,अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल-1अंतर्गतछत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम द्वाराअधिकार पत्र धारक अरविंद सिंह, पिता श्री सहदेव सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी मकान नं.101, राजेंद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव,आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4. आबकारी अधिकारी, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला

रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र1098/2003

याचिकाकर्ता: गोरख नाथ, पिता राधिका गुप्ता, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीगुंडरदेही, जिला दुर्ग निवासी नयाबाजार, दल्लीराजहरा, तहसीलबालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी,

दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र 1104/2003

याचिकाकर्ता : मनमीत सिंह, पिता दिलीप सिंह भाटिया, उम्र लगभग 30 वर्ष,व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1,डौंडीलोहारा, जिला दुर्ग (छ.ग.), निवासी मेन रोड चरामा, जिला कांकेर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र1029/2003

याचिकाकर्ता: परमीत सिंह बग्गा, पिता श्री हरवंश सिंह बग्गा, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी ठाकुरपारा, तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, आबकारी,

बिलासपुर (छ.ग.)

3. आबकारी अधिकारी बिलासपुर,

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्र945/2003

याचिकाकर्ता : प्रदीप कुमार साहू, पिता श्री कृष्णा साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी लेन नंबर 11, प्लॉट नंबर 9, प्रगति नगर, रिसाली, तहसील और जिला दुर्गद्वारा प्रतिनिधि, श्री संजय चंद्राकर, पिता श्री राम कृष्ण चंद्राकर, निवासी आई-पॉकेट, मकान नं.9-बी, मरोदा-सेक्टर, भिलाई, तहसील और जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी), राजनांदगांव,

जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, राजनांदगांव,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त, आबकारी, राजनांदगांव,

जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

रिट याचिका क्र 1069/2003

याचिकाकर्ता : गोपाल सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता रामपाल सिंह, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष (आबकारी), कोरबा,

जिला कोरबा, छत्तीसगढ़,

3. जिला आबकारी अधिकारी, कोरबा,

जिला कोरबा (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1067/2003

याचिकाकर्ता : राम मूरत, पिता राम खिलावन, उम्र 50 वर्ष, निवासी निहारिका टॉकीज़ केपास, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2 आयुक्त, आबकारीविभागरायपुर

3. जिलाध्यक्षकोरबा(छ.ग.)

4. जिला आबकारी अधिकारी, कोरबा,

रिट याचिका क्र975/2003

याचिकाकर्ता : कमलेश कुमार, पतिभागचंद बघेल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी तितुरडीह, दुर्ग तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग

जिला दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1100/2003

याचिकाकर्ता : श्री हरसरन सिंह, पिता राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1, समूह 8पंडरिया, कवर्धा(छ.ग.), निवासी बुधवारीपारा, डोंगरगढ़तह. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2 जिलाध्यक्ष, कवर्धा (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, कवर्धा (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1101/2003

याचिकाकर्ता: अशोक कुमार जैन, पिता दान मल जैन, उम्र लगभग 34 वर्ष,

व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1, गुरुर जिला दुर्ग निवासी

गली नंबर 4फाफाडीह रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस.

भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1113/2003

याचिकाकर्ता : गोपी थवाईत, आयु लगभग 50 वर्ष, पिता श्री

गुलाबचंद थवाईत, निवासी मेन रोड, महासमुंद(छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

2. आयुक्त (आबकारी) डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी), जिला महासमुंद

4. जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद

5. अपर तहसीलदार (आबकारी) जिला महासमुंद

6. उपनिरीक्षक (आबकारी) महासमुंद, जिला महासमुंद, (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1246/2003

याचिकाकर्ता : सीता राम, पिता श्री भगत सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1. अहिवारा, दुर्ग (छ.ग.) निवासी बनियापाराबेमेतरा, तह. बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1245/2003

याचिकाकर्ता : चिंता हरि बंधु, पिता श्री सेतु उम्र लगभग 28 वर्ष, व्यवसायअनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1, धमधा, दुर्ग (छ.ग.)

निवासी जवाहर लाल नेहरू नगर, खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2 जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1244/2003

याचिकाकर्ता : उमेश यादव, पिता श्री टीका राम, आयु लगभग 28 वर्ष, व्यवसायअनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1, बेरला, दुर्ग (छ.ग.),निवासी ग्राम कनकी, तहसील खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2 जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1243/2003

याचिकाकर्ता : मधु सूदन नायर, पिता श्री के. राजा, आयु लगभग 44 वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1, कुम्हारी, दुर्ग (छ.ग.), निवासीएल.आई.जी. 1/762, एम.पी.एच. बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2 जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्र 1242/2003

याचिकाकर्ता : जसबीर सिंह चहल पिता श्री मक्खन सिंह उम्र लगभग 40वर्ष, व्यवसाय अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.1 खुर्सीपार, दुर्ग (छ.ग.), निवासी शिव मंदिर के पास वैशाली नगर भिलाई जिलादुर्ग (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2 जिलाध्यक्ष, दुर्ग (छ.ग.)

3. जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

रिट याचिका क्र1222/2003

याचिकाकर्ता : शंभू शर्मा, पिता स्वर्गीय जय प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 44 वर्ष, आबकारीठेकेदार, निवासी खुर्सीपार, रायपुर(छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

2. आयुक्त, आबकारी, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष, आबकारी, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सी) क्र526/2009

याचिकाकर्ता : कपिलेंद्र पिता लोकनाथ, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी अरोड़ा एंटरप्राइजेज के सामने, दयालबंद, बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़, रायपुर(छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी), जिला बिलासपुर (छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

5. अपर तहसीलदार आबकारी,

बिलासपुर (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (सी) क्र525/2009</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : राजन गुप्ता, पिता नंदलाल गुप्ता, उम्र लगभग 40,

निवासी अरोड़ा एंटरप्राइजेज के सामने, दयालबंद,

बिलासपुर (छ.ग.)

<u>विरूद्ध</u>

<u>उत्तरवादीगण</u> 1. छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त,

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

5. अपर तहसीलदार आबकारी,

बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका क्रमांक 1837/2002</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : अवध बिहारी सिंह, पिता नवरंग सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारीएफ.एल.-1, अधिकार पत्र धारक अरविंद सिंह, पिता श्री सहदेव सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, मकाननंबर101, राजेंद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारासचिव, आबकारीविभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन,

रायपुर (छ.ग.)

, 2. जिलाध्यक्ष रायपुर,

जिला रायपुर-(छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी),

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4. आबकारी अधिकारी, रायपुर संभाग, रायपुर,

जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 220/2003

याचिकाकर्ता : राम चंद्र बारिक, पिता श्री नटवर बारिक, आयु लगभग

वर्ष, निवासी मकान नंबर350, वार्ड नंबर5, ढिमरापुर,

जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव,वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़,

रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी), जिला रायगढ़ (छ.ग.)

4. जिला आबकारी अधिकारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक328/2003

याचिकाकर्ता : चंद्रहास चंद्राकर, पिता कोमल चंद्राकर, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी क्लबपारा, महासमुंद, वार्ड क्रमांक 19

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव,वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. आयुक्त, (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

3. जिलाध्यक्ष, (आबकारी) रायपुर (छ.ग.)

4. सहायक आयुक्त (आबकारी) रायपुर (छ.ग.)

5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक231/2003

याचिकाकर्ता: मदन मोहन बेहरा, पिता गोविंद चरण बेहरा, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी बैंक ऑफ इंडिया के पास, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

द्वारा सचिव,वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़,

रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी)

जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त आबकारी,

बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक 230/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : अभय कुमार सिंह, पिता श्री आस नारायण सिंह, आयु लगभग वर्ष, निवासी मकान नंबर221, वार्ड नंबर4, ढिमरापुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा सचिव,वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी),

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(छत्तीसगढ़)।

2. आयुक्त (आबकारी) छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका क्रमांक229/2003

याचिकाकर्ता : दिवाकर मिश्रा, पिता श्री श्यामनारायण मिश्रा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी सिविल लाइंस, कटोरा तालाब, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

उत्तरवादीगण 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव,वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. आयुक्त (आबकारी), छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

3. जिलाध्यक्ष (आबकारी) जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री विनय पांडे, श्री सैफ खान, श्री अखिलेश दलपति, श्री बीडी गुरु, श्री आदित्य तिवारी, श्री मलय श्रीवास्तव औरश्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्तागण, याचिकाकर्तागण की ओर से

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्यकी ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को पारित)

माननीय धीरेंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

इन याचिकाओं का निराकरण इस एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा हैI याचिकाकर्तागण द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए अनुज्ञप्ति पर दी गई मदिरा की दुकान/समूह के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि जमा करने हेतु दी गई नोटिस को अभिखण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

02.राज्य शासन ने आबकारी अधिनियम, 1915 (संक्षिप्त में "अधिनियम") के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मार्च, 2002 की अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति व्यवस्थापन नियम, 2002 (संक्षेप में "नियम, 2002") बनाएथे। राज्य शासन की आबकारी नीति वर्ष 2002-03 के अंतर्गत, सम्पूर्ण राज्य को कई समूहों (लगभग 268 समूहों) में विभाजित करने के पश्चात, संबंधित जिलों के जिलाध्यक्ष (आबकारी) के माध्यम से देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करआवेदन आमंत्रित किए गए थे। तथापि, मार्च, 2002 के अंत में, यह पाया गया कि सभी समूहों और प्रत्येक दुकान को अनुबंधित करने वाले आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं और आवेदकों द्वारा नियमानुसार राशि जमा करने में असफलता के कारण, कुछ दुकानों का निराकरण नहीं किया जा सका है, इसलिए, जिलाध्यक्षों को निविदाएं आमंत्रित कर शेष समूहों/दुकानों का निराकरण करने के निर्देश जारी किये गये थे। याचिकाओं के समूह में याचिकाकर्तागण को या तो उनके आवेदन के आधार पर या निविदाओं के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान किया गयाथा।

03.मूल रूप से, इन याचिकाओं में याचिकाकर्तागण की ओर से यह आपत्ति की गई कि अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार, उन्हें हर महीने न्यूनतम प्रतिभूतियुक्त कोटा (संक्षेप में "एम.जी.क्यू.") उठाना आवश्यक था, उसके पश्चात उनके द्वारा उठाई गई मात्रा पर शुल्क का भुगतान करना था। उन्होंने

निर्देशित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात निर्धारित मात्रा से अधिक (एम.जी.क्यू.) उठा लेने के कारण उनकों कारण बताओं नोटिस जारी कर उनसे एम.जी.क्यू. के विरूद्ध पहले से भुगतान की गई राशि, से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने हेतु कहा गया।

याचिकाकर्तागणों का तर्क है कि अनुज्ञप्ति की शर्तें, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम केवल एम.जी.क्यू. और देशी मदिरा के लिए प्रति लीटर 48 रुपये, विदेशी मदिरा के लिए प्रति लीटर 84 रुपये और माल्ट की प्रति बोतल एम.जी.क्यू. न उठाने की स्थिति में 10 रुपये के अर्थदण्ड निर्धारित किये हैं, और अनुज्ञप्ति में राज्य सरकार की ओर से देय रुपये के रूप में किसी भी शुल्क की अनिवार्य, आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्तागण को दिए गए कारण बताओं नोटिस के जवाब पर बिना विचार किए, याचिकाकर्तागणों कोआदेशित किया गया किवे आक्षेपित आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर आबकारी शुल्क की हानि को अनिवार्य रूप से जमा करें।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04.विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री विनय पांडे ने याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका क्र 649/03 में तर्क किया कि जिलाध्यक्ष(आबकारी) ने नियम, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 फरवरी, 2002 (अनुलग्नक पी/1) के विज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2002-03 के लिए मदिरा की दुकानों के समूह के अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन का प्रारूप भी विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था और आवेदन के प्रारूप के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों को खण्ड3 में चिन्हित समूह के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसमें देशी मदिरा के लिए खण्ड4 में निर्धारित मासिक औसत (एम.जी.क्यू.) और विदेशी मदिरा (स्प्रिट और माल्ट) के लिए क्रमशः खण्ड5 और 6 में निर्धारित मासिक औसत (एम.जी.क्यू.) संलग्न है। उपरोक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने विज्ञान के क्रमांक 6 में उल्लेखित गुढियारी समूह की दुकान के लिए आवेदन किया था

और उसने विज्ञापन के खण्ड 4, 5 एवं 6 में दर्शाए अनुसार देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्प्रिट) और विदेशी मदिरा (माल्ट) के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य (एम.जी.क्यू.) उठाने का वचन दिया था। समस्त समूह के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क 1,72,35,925/- रुपये और सुरक्षा राशि 14,36,332/- रुपये थी। याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी/2 और पी/3 के अंतर्गतगुढियारी और गोगांवकी दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, अनुलग्नक पी/1 के क्रमांक 6 में वर्णितदोनों दुकान गुढियारी समूह का हिस्सा हैं। अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता को दोनों दुकानों के लिए क्रमशः 59,55,926/- रुपये एवं59,04,000/- रुपये का अनुज्ञप्ति शुल्क देना था। गुढ़ियारी के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए उठाया जाने वाला न्यूनतम भार 66020 लीटर और माल्ट के लिए 26666बल्क लीटर था, और गोगांव के लिए स्प्रिट के लिए उठाया जाने वाला न्यूनतम भार 66000प्रमाणित लीटर और माल्ट के लिए 23400बल्क लीटर था। अनुलग्नक पी/2 एवं पी/3 की शर्तों के अंतर्गत, नियम 2002 के नियम 3(ख) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक महीने उसमें उल्लिखित मासिक न्यूनतम भार उठाना आवश्यक था। नियम 15 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मासिक न्यूनतम भार उठाने में असफल रहने पर देशी मदिरा के लिए 48/- प्रमाणित प्रतिलीटर, विदेशी मदिरा के लिए 84/- रुपये प्रमाणित प्रति लीटर और विदेशी मदिरा माल्ट के लिए 10/- रुपये प्रति बोतल की दर से अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान है। उपरोक्त शर्त अनुज्ञप्ति के खंड 8 (छ.क.) में भी उल्लिखित है। नियम 14 में मदिरा उठाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व में ही मांगपत्र देना होता है, और नियम 14(ग) में मदिरा की शुल्क दरों का प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05.श्री जायसवाल द्वारा ''शुल्क'' शब्द के संबंध में नियम 2002 के नियम 14(ग) में प्रयुक्त "शुल्क" शब्द और कुछ नहीं बल्कि "आबकारी शुल्क" है। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने मासिक औसत (एम.जी.क्यू.) उठाने में कभी भी चूक नहीं की और कई बार, उसके

द्वारा निर्धारित मासिक औसत (एम.जी.क्यू.) से अधिक उठाव किया है, जैसा कि अनुलग्नकपी./4 और पी./5 के दस्तावेज़ों से स्पष्ट है। हालाँकि, जिलाध्यक्ष (आबकारी), रायपुर ने कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी./6) जारी कर याचिकाकर्ता को सूचित किया कि मदिरा की दुकानों के कुल मूल्य का 50% अनुज्ञप्ति शुल्क और 50% शुल्क के रूप में देने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता को दुकान के मूल्य का शेष 50% जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब अनुलग्नक पी/7 के माध्यम से प्रस्तुत किया और दर्शित मांग का इस आधार पर विरोध किया कि याचिकाकर्ता ने मासिक, मासिक मूल्य (एम.जी.क्यू.) का भुगतान कर दिया है। चूँकि मदिरा की बिक्री पर उत्पाद शुल्क देय होता है, इसलिए याचिकाकर्ता को उत्पाद शुल्क से अधिक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही वह दुकान के मूल्य का 50% ही क्यों न हो, शुल्क के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।अनुलग्नक पी/1 के विज्ञापन और अनुलग्नक पी/2 तथा पी/3 के अनुज्ञप्ति में, मासिक मूल्य (एम.जी.क्यू.) का निर्धारण मात्रा में किया गया है, न कि रुपयों में। हालाँकि, जिलाध्यक्ष ने अनुलग्नक पी/8 के अपने आदेश में यह स्वीकारकियाहै कि आयुक्त आबकारी द्वारा तैयार की गई राज्य की आबकारी नीति के अनुसार, दुकान का मूल्य दो भागों में विभाजित किया गया है,50%अनुज्ञप्ति शुल्क और शेष 50%आबकारी शुल्क देय होगा। याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी/9 और पी/10 की मांग नोटिस जारी कर, याचिकाकर्ता को राज्य की राजस्व मांगों को पूरा करने के लिए, भले ही उसने संपूर्ण मासिक मूल्य (एम.जी.क्यू.) का भुगतान कर दिया हो, शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

06.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि संवैधानिक योजना के अंतर्गत, मादक मदिरा के निर्माता और उत्पादन पर आबकारी शुल्क राज्य सरकार द्वारा संविधान की अनुसूची VII की सूची-II की प्रविष्टि 51 के आधार पर लगाया जाता है, जिसका निर्णय राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाताहै।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चूंकि याचिकाकर्ता- अनुज्ञप्तिधारी ने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रतिभूतियुक्त कोटा (एमजीक्यू), जिसे उसने उठाया है, के लिए पहले ही आबकारी शुल्क का भुगतान कर दिया है, इसलिए उसे दुकान के मूल्य के 50% तक अतिरिक्त आबकारी शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो वस्तुतः याचिकाकर्ता- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा की मात्रा न उठाई गई मदिरा पर आबकारी शुल्क लगाने के अभिनिर्धारित कर है। आगे यह भी तर्क किया गयाहै कि अधिनियम की धारा 25 और 26 में आबकारी शुल्क लगाने और ऐसी शुल्क लगाने का प्रावधान है।इस प्रकार, आबकारी शुल्क केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है और आबकारी शुल्क उस मदिरा की मात्रा पर लगाया जाता है जो मधुशाला में निर्मित होने के पश्चात् भण्डारगृह से जारी मदिरा की मात्रा पर लगता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क किया गया कि अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आबकारी शुल्क लगाने की शक्ति का अधिकार केवल राज्य सरकार के आदेश द्वारा, जो राज्यपाल के नाम पर जारी किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 166(2) में प्रदत्त किये गये कार्य नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।आयुक्त आबकारी द्वारा जारी आबकारी नीति और इस संबंध में आयुक्त आबकारी द्वारा जारी पत्र के आधार पर शुल्क लगाने की मांग की गई है।हालांकि,दोनों दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हैकिइन्हें राज्यपाल के नाम से जारी नहीं किये जाने के कारण यह राज्य सरकार का आदेश नहीं हैं।

07.अंत में, यह तर्क किया गया कि यह स्थापित विधि है कि राज्य अप्रयुक्त मदिरा पर आबकारी शुल्क नहीं लगा सकती। मध्यप्रदेश राज्य बनाम फर्मकप्पूलाल[1]बिमल चंद्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य[2] और पन्ना लाल एवं अन्य बनामराजस्थान राज्य एवं अन्य[3] में दिए गए निर्णयों को अवलंब किया।

08.याचिकाकर्तागण ने याचिका क्र. 232/02 में आयुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 10 जून, 2002 के जारी परिपत्र को अभिखण्डित किये जाने का अनुरोध किया है जिसके अंतर्गत् राज्य के जिलाध्यक्षों को स्पष्ट किया है कि मदिरा की दुकानों से प्राप्त होने वाले कुल राजस्वों को 50% अनुज्ञप्ति शुल्क और शेष 50 % शुल्क के रूप में वसूल किया जा सकता है, जहां न्यूनतम अनुज्ञप्ति शुल्क की भुगतान में कमी और लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को अंतर राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, भले ही उसने उस विशेष माह के लिए मासिक एम.जी.क्यू. उठाया हो।

विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री अभिषेक सिन्हा, श्री घनश्याम पटेल, श्री सैफ खान, श्री अखिलेश दलपति, श्री बी.डी.गुरु, श्री आदित्य तिवारीऔर श्री मलय श्रीवास्तव, ने

1. एआईआर1976 एससी 633
2. एआईआर1971 एससी 517
3. एआईआर1975 एससी 2008

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित होकर, यह तर्क प्रस्तुत किया कि, आयुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 10 जून, 2002को जारी परिपत्र विधिक प्राधिकार रहित है, क्योंकि न तो अधिनियम की धारा 25 और 26 के अंतर्गत, न ही उसके अधीन बनाए गए नियमों या अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों के अंतर्गत, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अतिरिक्त आबकारी शुल्क की मांग करने का कोई अधिकार है, जबकि याचिकाकर्तागण ने अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार उठाई गई मदिरा की मात्रा पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया है, और आयुक्त आबकारी ने विभिन्न प्रतीकों (ब्राण्ड) की देशी और विदेशी मदिरा के संबंध में देय शुल्क निर्धारित करने में राज्य सरकार की शक्ति का अवैध रूप से अतिक्रमण किया है।

09. इसके विपरित, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित होकर यह तर्क किया कि याचिकाकर्तागण के समूह में सम्मिलित एक मात्र तथ्य यह है कि क्या उत्तरवादी द्वारा उठाई गई मांग अधिनियम और नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार है, और क्या राज्य द्वारा मांगा गया शुल्क, शुल्क का अंतर है याअतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, जैसा कि याचिकाकर्तागण ने यह आक्षेप लगाया है?

10.इन याचिकाओं के प्रयोजन के लिए नियमों के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह तर्क किया गया कि नियम 8 के अंतर्गतअनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के अनुसार, राज्य के सभी जिलों के अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें उन दुकानों की सूची का विवरण दिया गया था, जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी दुकान-वार अनुज्ञप्ति शुल्क, मासिक एम.जी.क्यू., सुरक्षा राशि और वार्षिक मात्रा के साथ अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। एम.जी.क्यू. तय करने के प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञप्ति शुल्क, शुल्क और कुल राजस्व, पिछले वर्षों में खपत और आगामी वर्षों में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। किसी विशेष समूह से मदिरा की अपेक्षित खपत का आंकड़ा प्राप्त करने के पश्चात्, शुल्क की गणना नियम, 2002 के नियम 14 के अंतर्गत सारणीबद्ध रूप में दर्शाए गए शुल्क ढांचे के औसत के अनुसार की जाती है। किसी विशेष समूह से अपेक्षित कुल शुल्क की गणना करने के पश्चात् दुकान के लिए, इसी प्रकार पूरी दुकान/समूह की गणना की जाती है और फिर कुल राजस्व की गणना के लिए उसे दोगुना कर दिया जाता है। इस प्रकार, अनुज्ञप्ति शुल्क को कुल वसूली योग्य शुल्क की राशि के बराबर निर्धारित किया जाता है।

अनुलग्नक पी/1 के विज्ञापनके प्रारूप अनुसार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं शपथ पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक श्रेणी की मदिरा का वार्षिक एम.जी.क्यू., समूह और समूह की प्रत्येक दुकान के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, सुरक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क पहले से ही निर्धारित था। आवेदकों को खण्ड 3 के सामने अनुज्ञप्ति शुल्क (रुपये में), खण्ड4 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामने वार्षिक एम.जी.क्यू. प्रमाणित लीटर में और बल्क लीटर में भरना आवश्यक था। आवेदकों को विज्ञापन में दिए गए प्रारूप में शपथ पत्र भी देना आवश्यक था। याचिकाकर्तागण द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों (अनुलग्नकR/2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्हें समूह/दुकान के लिए देय वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, दुकान के मूल्य और उठान की न्यूनतम लागत (एम.जी.क्यू.) के संबंध में जानकारी थी। इसलिए, याचिकाकर्तागण का यह तर्क कि उन्हें "अनुज्ञप्ति शुल्क" के मद में राज्य को देय राशि की जानकारी नहीं थी, उनके स्वयं के आवेदनों एवं विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों की विषय वस्तु में विसंगतियां है, जिसके संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों के द्वारा विधिवत् समर्थन किया गया है। सुसंगत नियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नियम 2002 के नियम 2(5) के अंतर्गत खुदरा दुकान में देशी/विदेशी मदिरा की विक्रय के लिए अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि देय है, जबकि मासिक एम.जी.क्यू. देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट और माल्ट) की मात्रा है, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा आयुक्त आबकारी द्वारा सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी वर्ष के एक महीने में उसकी खुदरा बिक्री दुकान/दुकानों के समूह के लिए उठाए जाने के लिए प्रतिभूति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.नियम 14 मदिरा उठाने से संबंधित है, जबकि नियम 14(ग) विभिन्न श्रेणियों की मदिरा के लिए दरें निर्धारित करती है और नियम 15 में अनुज्ञप्तिधारी को महीने के लिए निर्धारित न्यूनतम मात्रा में मदिरा उठाने का प्रावधान है और निर्धारित प्रतिभूतियुक्त मात्रा से कम उठाई गई प्रतिभूतियुक्त मात्रा पर अर्थदण्ड लगाने का भी प्रावधान है। देशी मदिरा के लिए 48 रुपये प्रमाणित प्रति लीटर, विदेशी मदिरा के लिए 84 रुपये प्रमाणित प्रति लीटर और माल्ट की प्रति बोतल 10 रुपये अर्थदण्ड की दर निर्धारित की गई है। अनुज्ञप्तिधारी को एक सप्ताह के भीतर सुरक्षा जमा राशि में कमी की भरपाई करने के लिए बाध्य है सुरक्षा राशि में कमी,अर्थदण्ड की राशि जमा न करने परउसके

द्वारासुरक्षा हेतु जमा राशि में से काटी जा सकती है और उसकी अनुज्ञप्तिअभिखण्डित की जा सकती है।

आयुक्त आबकारी द्वारा 10 जून 2002 के परिपत्र में यह स्पष्ट किया है कि नियम, 2002 को राज्य की आबकारी नीति के अनुरूप बनाई गई है, जिसमें नीति के खंड (4) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2002-03 के मध्य जिलों में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से प्राप्त लक्षित राजस्व का 50% अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में निर्धारित किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारियों को किश्तों में अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। चूँकि याचिकाकर्तागण ने केवल एम.जी.क्यू. स्तर तक की सस्ती मदिरा ही उठाई थी, इसलिए मासिक निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान में कमी थी और इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्तागण को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उनके द्वारा प्रस्तुत जवाबों पर विचार करने के पश्चात् उन्हें कमी को पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने औरअभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

13.राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 18 के सहपठितधारा 62 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम,2002 बनाए जिसेराजपत्र मेंदिनांकित 15 मार्च, 2002 को अधिसूचित किया गया।

आयुक्त आबकारी द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय परनिर्धारित किये जाने हेतु नियम 2 के उप-नियम (5) "अनुज्ञप्ति शुल्क" को अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ज) के खंड (ii) के अंतर्गत खुदरा दुकान में देशी/विदेशी मदिरा को विक्रय करने हेतु अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप निर्धारित राशि के रूप में परिभाषित करता है, जिसे पूरे आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए निर्धारित किया जाता है।

नियम 4 अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा तीन मदिरा दुकान वालोंको समूह बनाने का अधिकार देता है तथा समूहवारअनुज्ञप्ति जारी किये जाने का प्रावधान है जिसमें अनुज्ञप्तिप्राधिकारी को राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से समूह में एक या दो दुकानों को कम या जोड़ने का अधिकार होगा।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 7 के अंतर्गत, सुरक्षा राशि जमा करने पर मदिराकी दुकान के लिए अनुज्ञप्ति जारी करेगा तथाअनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस माह का अनुज्ञप्ति शुल्क अग्रिम रूप से देय होगा।

जबकि नियम 8 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसके अनुसार, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनों के माध्यम से व्यापक प्रचार करने का प्रयोजन हैंएवं आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाना हैं। मदिरा की सभी श्रेणियों की दुकानों की सूची, जिनके लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वाराअनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है,दुकानदार अनुज्ञप्ति शुल्क, न्यूनतम मासिक प्रतिभूतियुक्त मात्रा, सुरक्षा राशि और वार्षिक मात्रा आदि के साथ जिलाध्यक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किया जानानियम 8 (ख) में आज्ञापक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम 10 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के लिए जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है तथा उक्त समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी का चयन उक्त समिति द्वारा नियम 11 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी को नियम 13 के अनुसार अपने अनुज्ञप्ति की सूचना मिलने के तीन दिनों के भीतर एक महीने का अनुज्ञप्ति शुल्क और सुरक्षा राशि जमा करनी होती है।

चयन असफल होने पर, उसका चयन अभिखण्डित कर दिया जाएगा और भविष्य में राज्य में कहीं भी कोई भी आबकारी अनुज्ञप्ति धारण करने से उसे वंचित कर दिया जाएगा।

नियम 14 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा उठाने का प्रावधान है, जबकि नियम 14(ग) में विभिन्न श्रेणियों की मदिरा शुल्क का विवरण दिया गया है, जिसके भुगतान पर आपूर्तिकर्ता - छत्तीसगढ़ राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड - द्वारा मदिरा की आपूर्ति की जाएगी।

नियम 15 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी को एक माह के अंतर्गत पूरी न्यूनतम मासिक प्रतिभूतियुक्त मात्रा उठानी होगी, जबकि नियम 15(ख) में विभिन्न श्रेणियों की मदिरा के लिए इस उप-नियम के अंतर्गत दी गई दर पर निर्धारित प्रतिभूतियुक्तमात्रा से कम उठाई गई प्रतिभूतियुक्त मात्रा पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है।

14.राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के अनुज्ञप्ति अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात्, प्रत्येक श्रेणी की मदिरा की न्यूनतम मासिक प्रतिभूतियुक्त मात्रा, सुरक्षा जमा और आवेदन शुल्क निर्धारित किया है। आबकारी वर्ष में प्राप्त होने वाले संपूर्ण अनुमानित राजस्व का आकलन करने के पश्चात्, राज्य सरकार ने खुदरा दुकानों के माध्यम से मदिरा की विक्रय के लिए अनन्य विशेषाधिकार की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क के बराबर राशि वसूलने का निर्णय लिया। तदनुसार, नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक अधिसूचना प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें स्पष्ट रूप से समूहों का उल्लेख, किसी विशेष समूह में दुकानों का विवरण, प्रत्येक श्रेणी की मदिरा की वार्षिक न्यूनतम प्रतिभूतियुक्त मात्रा, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, सुरक्षा जमा और आवेदन शुल्क सम्मिलित है। आवेदन के प्रारूप के साथ-साथ आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र को भी विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आवेदन के अवलोकन से, हम पाते हैं कि उन्होंने यह अच्छी तरह जानते हुए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था कि उन्हें विज्ञापन और अपने आवेदनों में उल्लिखित एक निश्चित दर पर वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इसलिए, याचिकाकर्तागण का तर्क है कि अनुज्ञप्ति की शर्तें केवल न्यूनतम मूल्य (एमजीक्यू) निर्धारित करती है न कि रूपये के रूप में शुल्क, जो राज्य सरकार को आज्ञापक रूप से देय है, स्वीकार्य योग्य नहीं है।

15.मदिरा ठेकेदारों पर नीलामी की अन्य शर्तों के साथ-साथ फर्म'कप्पूलाल'[1]के प्रकरण में, निम्नलिखित शर्तें भी लागू थी जिन्हें सरकार भी लागू करना चाहती थी :-

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यदि किसी माह में निर्धारित मासिक मात्रा नहीं ली जाती है, तो संबंधित ठेकेदार सरकार को मसालेदार स्प्रिट और प्लेनस्प्रिट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिकर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जहाँ तक वह निर्धारित मासिक न्यूनतम मात्रा से कम होगी और ऐसे प्रतिकर की राशि उस माह के दसवें दिन के भीतर चुकाई जाएगी ऐसी कमी जो उस माहसेसंबंधित हैजो उस माह के ठीक पश्चात् आता है। वार्षिक प्रतिकर की पूरी राशि के छठे से दसवें भाग तक की सुरक्षा देनी होगी, प्रतिकर उत्पाद शुल्क है।"

राज्य सरकार की अपील को अभिखण्डित करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं जो राज्य अप्रयुक्त मदिरा पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। इसलिए, अनुज्ञप्ति में ऐसी वसूली की अनुमति देने वाली शर्तें और उस संबंध में माँग नोटिस अमान्य थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.बिमल चंद्र बनर्जी[2] के प्रकरण में, याचिकाकर्तागण आबकारी ठेकेदार थे और 1964-65 के वित्तीय वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य में मदिरा बेचने वाली कुछ दुकानों के लिए सफल बोलीदाता थे। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर, पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन किया और विक्रय के लिए भण्डारगृह सेमदिरा लेने के लिए न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने वाला एक खंड जोड़ा गया, और आगे यह निर्धारित किया गया कि अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह कुल न्यूनतम शुल्क के मासिक औसत की कमी की भरपाई उस महीने के पश्चात् आने वाले प्रत्येक महीने की 10 तारीख को या उससे पहले करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिससे कमी शुल्क संबंधित है।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालयद्वारा स्वीकार करते हुए, अधिसूचना और माँग नोटिस को इस आधार पर अभिखण्डित कर दिया कि किसी भी उप-विधि, नियम या विनियमन द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वह विधि जिसके अंतर्गत

अधीनस्थ विधान बनाया गया है, विशेष रूप से कर लगाने का अधिकार प्रदत्त शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्यपालिका को है। विधि द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्ति के आधार का उल्लंघन नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास कोई पूर्ण शक्ति नहीं होती। उसे प्रदत्त शक्तियों कीसीमाओं के भीतर कार्य करना होता है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पन्नालाल के प्रकरण में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या अपीलकर्तागण को दिए गए आबकारीअनुज्ञप्ति उन्हें अनुज्ञप्ति में उल्लिखित निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं? अनुज्ञप्तिधारियों को विशेषाधिकार प्रणाली के अंतर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क की एक निर्धारित राशि पर देशी मदिराकोविक्रय के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी। जहाँ ठेकेदार प्रतिभूतियुक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने के कारण उससे कमी की माँग की गई। अनुज्ञप्तिधारियों ने प्रतिभूतियुक्त राशि में कमी की माँग को चुनौती दी। अनुज्ञप्तिधारियों ने तर्क किया कि कमी के रूप में जो माँग की जा रही थी वह उत्पाद शुल्क लगाने के बराबर थी, जबकि राज्य कायह कथन था कि अनुज्ञप्तिधारियों से जो वसूला जा रहा था वह देशी मदिराविक्रय करने के विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञप्ति में प्रतिभूतियुक्तराशि थी।

अनुज्ञप्तिधारियों के तर्क को अभिखण्डित करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्तागण को निर्धारित राशि का भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व उनके द्वारा विक्रय की गई मदिरा की मात्रा पर निर्भर नहीं है, जो मात्र अनुज्ञप्ति के अंतर्गत उनके द्वारा अर्जित की जाने वाली छूट के प्रयोजनों के लिए सुसंगत है। अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अप्रयुक्त मदिरा पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाता है या प्रभार्य नहीं है। यह अनुबंध ठेकेदार को निर्दिष्ट क्षेत्र में विहित अवधि के लिए निर्धारित राशि देशी मदिरा विक्रय का अनन्य विशेषकार देता है ताकि विशेषकर का आनंद लिया जा सकें ठेकेदार मदिरा का विक्रय नहीं कर रहे तब भी वे निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और यदि वे मदिरा विक्रय करते है, तो उन्हें विशेषाधिकार के मूल्य में छूट का लाभ दिया जाता है। यह छूट उस सीमा तक लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क है, जिस सीमा तक मदिरा ठेकेदार अपने द्वारा देय उत्पाद शुल्क में विशेषाधिकार की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दें। यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ठेकेदार पर्याप्त मात्रा में मदिरा नहीं उठाते हैं और इस प्रकार विशेषाधिकार की संपूर्णमूल्य को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

18. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि याचिकाकर्तागण को मासिक, मासिक आय (एम.जी.क्यू.) की शर्त के अलावा, एक निश्चित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर खुदरा मदिरा की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदानकी गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि याचिकाकर्तागण ने राज्य द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर मदिरा की दुकानों के एक विशेष समूह की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। अपने आवेदनों में, उन्होंने उस विशेष दुकान के लिए देय अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि का उल्लेख किया है जिसके लिए वे आवेदन कर रहे थे। याचिकाकर्तागण द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के कारण उन्हें मांग नोटिस जारी किए गए थे। इन याचिकाओं में शामिल प्रश्न पन्ना लाल के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में पूर्णतः शामिल है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण ऐसा प्रकरण नहीं है जहां राज्य किसी भी मात्रा में अप्रयुक्त मदिरा पर शुल्क लगा रहा हो। नियम 15 (ख) अर्थदण्ड लगाने के लिए एक अलग प्रावधान निर्धारित है जहां अनुज्ञप्तिधारी एम.जी.क्यू. उठाने में चूक करता है हम याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उनको जारी किए गए मांग नोटिस अतिरिक्त आबकारी शुल्क की वसूली के लिए हैं, क्योंकि आयुक्त आबकारी के 10 जून, 2002 के परिपत्र के आधार पर जारी किए गए मांग नोटिसों के अवलोकन से यह स्पष्ट है किमांग केवल उस राशि के अंतर के संबंध में है, जो अनुज्ञप्तिधारियों ने अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उन्हें नियम, 2002 और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रत्येक महीने भुगतान करना आवश्यक था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, ये सभी याचिकाएँ सारहीन होने से अभिखण्डित किए जाने योग्य हैं और तदानुसार अभिखण्डित की जाती हैं।

हस्ताक्षरित /-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित /-

आर.एन.चंद्राकर

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri